/327103/2023

संख्या-1075/81-2-2023-800(144)/2019

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 ~~मई~~ जून 2023

विषय- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ में अलीगढ-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी खसरा संख्या-30 ग्राम दौलताबाद तहसील कोल जनपद अलीगढ में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3183/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/26736/2017 दिनांक 03.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक, अलीगढ वृत्त अलीगढ का पत्र दिनांक 28.03.2023 उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आख्या का उल्लेख किया गया है।

2- अवगत कराना है कि आपके पत्र दिनांक 16.12.2022 के संलग्नक के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अलीगढ को दोषी बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई। उक्त आख्या के अनुक्रम में आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 03.04.2023 के साथ संलग्न मुख्य वन संरक्षक अलीगढ वृत्त अलीगढ के पत्र दिनांक 28.03.2023 में विरोधाभाष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 16.12.2022 में संलग्न अभिलेखों के अनुसार तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ को भी दोषी बताया गया है। तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 09.03.2023 द्वारा आख्या मांगी गई, जिसके क्रम में पत्र दिनांक 03.04.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या विरोधाभासी है।

कृपया उपरोक्तानुसार स्थित स्पष्ट करते हुए सुस्पष्ट आख्या अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
Signed by नीता चौधरी
Date: 02-06-2023 18:22:46
Reason: Approved
(नीता चौधरी)
उप सचिव।